B- 3 & 4
L - 04
I. Polity

प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य

- भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसके लिए संविधान के भाग (चार) में निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया।

- कल्याणकारी राज्य की स्थापना के अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी समान महत्व प्रदान किया गया इसलिए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है।

- जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उदारवादी, व्यक्ति की आजादी के समर्थक थे जबकि समाजवादी सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, समानता का समर्थन करते थे इन दोनों के बीच संविधान में मध्यमार्ग अपनाया गया।

- प्रस्तावना में इसी संतुलन को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर व्यक्ति की निजता के अधिकारों में

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

दखल देना संगत नही है अन्यथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था चीन की भाँति हो जायेगी (पुट्टा स्वामी वाद) 2017

संवैधानिक नैतिकता :-

- प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, दर्शन है और आदर्श भी है इसलिए प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और न्याय को संवैधानिक आदर्श के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है।

- प्रस्तावना में निम्नलिखित अवयव शामिल हैं [illegible]

KGS IAS
KHAN GS RESEARCH CENTRE
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(i) संविधान के निर्माण के शक्ति का स्त्रोत "हम भारत के लोग"

(ii) सरकार की प्रणाली - सम्प्रभु, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक

(iii) आदर्श — न्याय, स्वतंत्रता, समानता

(iv) अपनाने की तिथि - 26 नवम्बर 1949

Scanned by CamScanner

संविधान समाज के आधुनिक मूल्यों की स्थापना करता है। और किसी भी समाज में सरकार की स्थापना आसान है लेकिन एक नवीन आधुनिक समाज का निर्माण कठिन है। भारत में समाज अत्याधिक परंपरागत है जो जाति, धर्म, लिंग के आधारों को मान्यता देता है जबकि संविधान स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक मूल्यों पर टिका हुआ है।

- सामाजिक नैतिकता एवं संवैधानिक नैतिकता के बीच टकराव की स्थिति में संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जायेगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा नवतेज सिंह जोहर वाद में यह निर्णय दिया गया जिसमें यह विचार दिया गया कि यदि सहमति से समलैंगिक सम्बन्धों का निर्माण होता है तो यह वैधानिक है।

- संवैधानिक नैतिकता प्रस्तावना के अलावा संविधान के अन्य प्रावधानों में भी अंतर्निहित है यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो भी इसे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन माना जायेगा। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

के न्यायधीशों को अवकाश प्राप्ति के बाद राज्यपाल जैसा पद नहीं लेना चाहिए।

प्रस्तावना और उच्चतम न्यायालय की व्याख्या :-

- संविधान की व्याख्या का अन्तिम दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है और न्यायालय ने बेरूबाड़ी वाद में (1960) निर्णय देते हुए कहा -

(i) प्रस्तावना के अनुसार आम जनता संप्रभु है इसलिए यदि भारतीय संसद के द्वारा कोई भू-भाग किसी विदेशी राज्य को दिया जा रहा है तो इसके लिए आम जनता की इच्छा जानना आवश्यक है जो सम्प्रभु है जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है।

(ii) उच्चतम न्यायालय ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि हम भारत के लोग संसद या सरकार के लिए शक्ति के स्त्रोत नहीं हैं अपितु हम भारत के लोगों को संसद का निर्वाचन करना होगा अतः शासन की शक्ति संसद और सरकार के पास है।

KCS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

(iii) न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि संविधान वैधानिक दस्तावेज है जबकि प्रस्तावना एक आदर्श है।

(iv) संसद के द्वारा किसी भू-भाग को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है (अनु० 368)।

• इसलिए अनु०-3 राज्य के अन्दर भौगोलिक परिवर्तन के लिए लागू होता है विदेशी राज्यों के लिए नहीं।

• 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि संसद की सहमति के बिना कच्चातिवु द्वीप भारत के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया जिसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।

• राज्य की सम्प्रभुता निरपेक्ष नहीं होती इसलिए संयुक्त राज्य संघ के प्रावधानों को स्वीकार किया जाता है और संयुक्त राज्य संघ (UNCLOS 1982) के अनुसार कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका का भाग मान लिया गया जिसकी तुलना बेरूबारी भू-भाग से

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

करना संभव नहीं है।

प्रस्तावना और आधारभूत ढांचा :-

- संसद को अनु० 368 के अन्तर्गत संविधान के संशोधन की शक्ति है जबकि उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है।

- परम्परागत रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या करते समय संविधान के शब्दों को ज्यादा महत्व दिया गया लेकिन वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के ऐतिहासिक वाद में संविधान की व्याख्या के मूल सिद्धांत ही परिवर्तित कर दिए और शब्दों के बजाय संविधान की भावना पर बल दिया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner